महत्वपूर्ण

संख्या:8/2015/बी-1-4058/दस-2015-13/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 09 नवम्बर, 2015

विषयः केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न आदि के निर्धारण के संबंध में गठित मुख्य मंत्रियों के उप समूह के द्वारा दी गई संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं की फण्डिंग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

1- निम्नांकित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अतः इन योजनाओं में केन्द्रांश का जो प्रतिशत था, उसी के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती रहेगी:-

(1) महात्मा गाँधी नेशनल रुरल इम्प्लायमेंट गारन्टी स्कीम ।
(2) नेशनल सोशल असिस्टेन्स प्रोग्राम ।
(3) अम्ब्रेला प्रोग्राम फार डेवलपमेंट आफ शेड्यूल्ड कास्ट ।
(4) अम्ब्रेला प्रोग्राम फार डेवलपमेंट आफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ।
(5) अम्ब्रेला प्रोग्राम फार डेवलपमेंट आफ डिफरेन्टली ऐबिल्ड परसन्स ।
(6) अम्ब्रेला प्रोग्राम फार डेवलपमेंट आफ माइनॉरटीज ।
(ए) मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फार माइनॉरटीज ।
(बी) एजूकेशन स्कीम फार मदरसाज/ माइनॉरटीज ।
(7) अम्ब्रेला प्रोग्राम फार डेवलपमेंट आफ बैकवर्ड क्लासेज एण्ड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स ।

2- निम्नांकित योजनाओं में फण्डिंग पैटर्न 60:40 होगा, जिसमें केन्द्र से 60 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होगी और शेष 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी होगी -

(1) कृषि उन्नति योजना
(2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
(3) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
(4) राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (लाइवस्टॉक मिशन, वेटनरी सर्विसेज एवं डेयरी डेवलपमेंट)
(5) स्वच्छ भारत अभियान (शहरी / ग्रामीण)
(6) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम
(7) नेशनल हेल्थ मिशन (आयुष, चिकित्सा शिक्षा, आर0एस0बी0वाई0/ आर0एस0एस0वाई को सम्मिलित करते हुये)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) नेशनल एजूकेशन मिशन (एस0एस0ए0 / आर0एम0एस0ए0, आर0यू0एस0ए0, टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड एडल्ट एजूकेशन को सम्मिलित करते हुये)

(9) मिड-डे मील प्रोग्राम

(10) इन्ट्रीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (न्यूट्रीशन मिशन, मैटरनिटी बैनीफिट्स एण्ड प्रोग्राम फार एडोलेसन्ट गर्ल्स को सम्मिलित करते हुये)

(11) इन्ट्रीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम

(12) हाउसिंग फार आल (शहरी / ग्रामीण)

(13) नेशनल लिवलीहुड मिशन (शहरी / ग्रामीण)

(14) फारेस्ट्री एण्ड वाइल्ड लाइफ (ग्रीन इण्डिया मिशन, प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ वाइल्डलाइफ हेवीटेट्स को सम्मिलित करते हुये)

(15) अर्बन रिजुविनेशन (ए0एम0यू0आर0टी0) एवं स्मार्ट सिटीज मिशन

(16) मार्डनाइजेशन आफ पुलिस फोर्सेज

(17) इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फार जूडिसियरी

उक्त सूची में उल्लिखित किसी योजना/उप योजना के फण्डिंग पैटर्न में यदि केन्द्रांश 60 प्रतिशत से कम था तो ऐसी योजनाओं में फण्डिंग पैटर्न पूर्ववत रहेगा । जैसे-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राजीव गांधी आवास योजना/सरदार पटेल शहरी आवास योजना में केन्द्रांश 50 प्रतिशत रहा है । अतः इन योजनाओं में केन्द्र से 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होगी और 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी होगी ।

3- उपरोक्त प्रस्तर-1 व 2 में उल्लिखित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु राज्य सरकार के पास ऑप्शन होगा कि राज्य सरकार उसे ऑप्ट करे अथवा न करे । यदि ऐसी किसी केन्द्र पोषित योजना को राज्य सरकार द्वारा ऑप्ट करने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी योजनाओं में केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत फण्डिंग प्राप्त होगी और 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी होगी । जैसे-बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकार को इस वर्ष केन्द्र से शत प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो रही थी। इन योजनाओं का उल्लेख प्रस्तर-1 व 2 में नहीं है । यदि केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं में आगे धनराशि अवमुक्त की जाती है तो उसमें केन्द्र व राज्य के मध्य फण्डिंग पैटर्न 50:50 होगा और राज्य सरकार के पास इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऑप्शन होगा।

4- निम्नांकित योजनायें केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 से सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम्स के रूप में संचालित की जायेंगी:-

(1) नेशनल एड्स एण्ड एस0टी0डी0 कन्ट्रोल प्रोग्राम जो कि वाह्य सहायतित योजना है जिसका कार्यान्वयन एस0पी0वी0 (स्पेशल परपज व्हीकिल) एवं वाल्यून्टरी सेक्टर द्वारा किया जाता है ।

(2) नेशनल स्किल इनीशिएटिव्स् / स्किल डेवलपमेंट मिशन जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत संचालित की जायेगी ।

(3) प्रोग्राम विथ नेटवर्क इक्सटरनेलिटीज यथा-नेशनल डिजीज सर्विलान्स सिस्टम्स एवं क्राइम एण्ड क्रिमिनल कन्ट्रोल नेटवर्क ।

(4) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित छोटी-छोटी योजनायें जैसे मॉर्डनाइजेशन आफ लैण्ड रिकार्ड्स, नेशनल सर्विस स्कीम, युवा केन्द्र एवं खेल अभियान, सोशल सिक्योरिटी कार्डस् इत्यादि के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन संबंधी।

उक्त सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम्स को राज्य के बजट के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने पर शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग की ऐसी योजनाओं जिनमें केन्द्रांश में परिवर्तन हुआ है के संबंध में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से फण्डिंग पैटर्न एवं केन्द्रांश की धनराशि आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-2016 में वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बजट प्रस्तावों को तैयार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें । उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि जिन केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन हुआ है ऐसी योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन पर शीघ्रातिशीघ्र माननीय मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हुये राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार को भी माननीय मंत्रि-परिषद् के संज्ञान में लाने का कष्ट करें ।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या-8/2015/बी-1-4058(1)/दस-2015/13-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4 समस्त अधिकारी, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रतन पी. वातल
वित्त सचिव
Ratan P. Watal
Finance Secretary

D.O.No. 32/PSO/FS/2015

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITUR

28th October, 2015

Sub: Funding Pattern of Centrally Sponsored Schemes.

Dear Secretary,

The Report of the Sub-Group of Chief Ministers on Rationalization of Centrally Sponsored Schemes constituted by the NITI Aayog has been considered and it has been decided that:

1. The funding pattern of following schemes will remain unchanged:
   i. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
   ii. National Social Assistance Program
   iii. Umbrella Program for Development of Scheduled Castes
   iv. Umbrella Program for Development of Scheduled Tribes
   v. Umbrella Program for Development of Differently Abled Persons
   vi. Umbrella Program for Development of Minorities
      a. Multi-sectoral Development Program for Minorities
      b. Education Scheme for Madarsas/Minorities
   vii. Umbrella Program for Development of Backward Classes and other vulnerable groups

2. The funding of the following *core schemes,* which form part of the National Development Agenda, will be shared 60:40 between the Centre and the States (90:10 for the 8 North-Eastern and 3 Himalayan States):
   i. Krishi Unnati Yojna
   ii. Rashtriya Krishi Vikas Yojna
   iii. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna
   iv. Rashtriya Pashudhan Vikas Yojna (Livestock Mission, Veterinary Services and Dairy Development)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION
कमरा नं. 129-A, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001
Room No. 129-A, North Block, New Delhi - 110001
Tel. 23092929, 23092663, Fax : 23092546
E-mail : secyexp@nic.in Website : www.finmin.nic.in

v. Swach Bharat Abhiyan (Rural and Urban)
vi. National Rural Drinking Water Program
vii. National Health Mission (including AYUSH, Medical Education and RSBY/RSSY)
viii. National Education Mission (including SSA, RMSA, RUSA, Teachers Training and Adult Education)
ix. Integrated Child Development Services (including nutrition mission, maternity benefits and program for adolescent girls)
x. Integrated Child Protection Scheme
xi. Mid-Day Meal Program
xii. Housing for All (Rural and Urban)
xiii. National Livelihood Mission (Rural and Urban)
xiv. Forestry and Wildlife (including Green India Mission, Project Tiger and Integrated Development of Wildlife Habitats)
xv. Urban Rejuvenation (AMRUT) and Smart Cities Mission
xvi. Modernisation of Police Forces
xvii. Infrastructure Facilities for Judiciary

In case a scheme/sub-scheme in the above mentioned list has a central funding pattern less than the level mentioned at the beginning of para 2, the existing funding pattern will continue.

For Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna instructions will be issued separately. For the ICDS Program, provision of additional funds for the current financial year will also be made at the supplementary stage.

3. All other schemes (not listed in para 1 and 2 above) will be *optional* for the State Governments and their fund sharing pattern will be 50:50 between the Centre and the States (80:20 for the 8 North East and 3 Himalayan States).

4. The following schemes may be run as Central Sector Schemes from the Financial Year 2016-17 onwards (in accordance with the budget provision as far as FY 2015-16 is concerned):
   (i) National AIDS and STD Control Program which is externally aided and implemented through special purpose vehicles and the voluntary sector.
   (ii) National Skill Initiatives/Skill Development Mission under the umbrella of recently launched Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
   (iii) Programs with network externalities like National Disease Surveillance Systems and the Crime and Criminal Control Network.

(iv) To ensure economies of scale in the implementation of centrally sponsored schemes small programs like Modernisation of Land Records, National Service Scheme, Yuva Krida and Khel Abhiyan, Social Security Cards, etc. may also be suitably restructured as Central Sector Schemes.

5. For Union Territories, the Centrally Sponsored Schemes will be funded 100 percent by the Central Government. However, schemes that will be implemented in a particular Union Territory will be decided by the Central Government in consultation with the administration of the Union Territory concerned.

6. Expenditure on all schemes in the financial year 2015-16 will be limited to the budgetary resources made available through the Budgetary Estimate and the Supplementary Budgets during the course of the year.

With regards.

Yours sincerely,

Ratan P Watal

Finance Secretary

All Secretaries to the Government of India